मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: टोका			पटवारी हल्का: टोंका			तहसील: शिवपुरी			जिला: शिवपुरी		वर्ष: 2022-2023
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1485665291	1699 (S)		140.9200 हेक्टेयर पहाड 140.9200 रु.0.00	(शासकीय)							पहाड 140.9200 कलेक्टर द्वारा प्र.क्र.0012/ अ-20(3)/2019-20 एवं आदेश दिनांक20/04/2021के अनुसार दिनांक 13/10/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। कलेक्टर महोदय के प्र.क्र. 12/2019-20/ अ-20 3 नजूल में पारित आदेश दिनाँक 11/11/2019 से नवीन सरकुला मध्यम योजना के डुब क्षेत्र में आने से वेकल्पिक वृक्षारोपाण हेतु 136 हेक्ट भूमि वन विभाग को हस्तांरित की गई। न्यायलय कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक ००१२/२०१९-२० /ा-२०(३) नजूल

specimen copy

										संशोधित आदेश दिनांक २०-०४-२१ से सर्क्युला माध्यम परियोजना हेतु वन विभाग को आवंटित १३६ हेक्टेयर भूमि के स्थान पर १२६.५० हेक्टेयर भूमि आवंटित कर शेष ९.५० हेक्टेयर भूमि राजस्व भूमि में सम्मिलित की गयी

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |

2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |

3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0012/2019-20/अ-20(3)नजूल

पोहरी विधानसभा क्षेत्र में पोहरी के पास नवीन सरकुला मध्यम सिचाई योजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के एवज में प्रतिपूरक आवंटित की गई राजस्व भूमि वापिस लेने के संबंध में

//संशोधित आदेश//

(आज दिनांक...20/04/2021...को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र.12/2019-20/अ-20(3)/नजूल पारित आदेश दिनांक 11.11.2019 से प्रभावित वन भूमि के एवज में तहसील शिवपुरी ग्राम टोंका की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 590 रकवा 4.00 हैक्टेयर में से 3.40 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 610 रकवा 0.90 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 611 रकवा 1.00 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1699 रकवा 140.92 हैक्टेयर में से 136.00 हैक्टेयर भूमि इसी प्रकार ग्राम खोईया के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक .01 रकवा 40.15 हैक्टेयर में से 24.80 हैक्टेयर एंव ग्राम ख्यावदा खुर्द के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 61 रकवा 9.11 हैक्टेयर में से 4.60 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 63 रकवा 7.99 हैक्टेयर में से 7.50 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 82 रकवा 5.30 हैक्टेयर में से 4.30 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 83 रकवा 9.87 हैक्टेयर में से 8.00 हैक्टेयर इस प्रकार तीनों ग्रामों की कुल भूमि 190.10 हैक्टेयर सरकुला मध्यम योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण की गई थी। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी ने पत्र क्रमांक 1094/कार्य/सरकुला/मासि/परि./2021 दिनांक 03.04.2021 से अवगत कराया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा किये गये सर्वे के उपरांत यह पाया है कि उक्त परियोजना के डूब से प्रभावित होने वाली वन भूमि 117.24 हैक्टेयर एंव परियोजना के विभिन्न अवयवों जैसे रोड़, स्पिलवे, स्वीचयार्ड, पंप हाउस कंट्रोलरूम, बिल्डिंग पावर लाईन इत्यादि के निर्माण हेतु 9.26 हैक्टेयर, वन भूमि कुल 126.50 हैक्टेयर वन भूमि ही प्रभावित होगी। इस कारण से परियोजना निर्माण से प्रभावित 126.50 हैक्टेयर वन भूमि के बदले ग्राम टोंका के सर्वे क्रमांक 1699 रकवा 140.92 में से पूर्व में आवंटित 136.00 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 126.50 हैक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष पूर्व आवंटित भूमि वापिस किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रस्ताव मंगाया गया। नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा अपने प्रकरण 04/2021-22/बी-121 प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2021 से प्रतिवेदित किया है कि ग्राम टोंका स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1699 रकवा 140.92 हैक्टेयर अक्श-नक्शा में बटांकन प्रस्तावित किये है जिसके मुताबिक सर्वे क्रमांक 1699/1/1 एंव सर्वे क्रमांक 1699/1/3 को छोड़कर सर्वे क्रमांक 1699/1/2 रकवा 126.50 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने हेतु प्रस्तावित किया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 4/बी-121/2021-22 प्रतिवेदन दिनांक 15.04.21 से नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी एंव नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन जिला नजूल निर्वर्तन समिति की अनुशंसा, मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय-2 की कण्डिका 18 (राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापिस लिया जाना) के तहत ग्राम टोंका स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1699 रकवा 140.92 हैक्टेयर अक्श-नक्शा में बटांकन प्रस्तावित किये है जिसके मुताबिक सर्वे क्रमांक 1699/1/1 एंव सर्वे क्रमांक 1699/1/3 को छोड़कर सर्वे क्रमांक 1699/1/2 रकवा 126.50 हैक्टेयर भूमि जो नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है। इसे छोड़कर शेष 9.50 हैक्टेयर भूमि जिसका उपयोग सरकुला परियोजना में न होने से, राजस्व भूमि में सम्मिलित की जाती है। तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 11.11.2019 में आंशिक

संसोधन किया जाता है। यह आदेश भी पूर्व पारित आदेश दिनांक 11.11.2019 संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी वापिस ली गई राजस्व भूमि का खसरे में अमल कराये एंव शेष भूमि का संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर सौपा जावे। खसरा प्रति 07 दिवस में प्रकरण में संलग्न करावें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0012/2019-20/अ-20(3)नजूल /528-537 शिवपुरी दिनांक 20.04.202

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वन संरक्षक, वृत शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
5. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभि[redacted] में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
9. अधीक्षक, भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. राजस्व निरीक्षक नजूल(भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

T/S
26/04/21
E.E W.R.D

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

1167
26-4-21